न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 07/2021

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1. शेर सिंह पुत्र जीत सिंह जाति बावरी निवासी चक 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद मकान नम्बर 127 रामदेव कॉलोनी चक 5-ई छोटी तहसील एंव जिला श्रीगंगानगर	1. जीत सिंह पुत्र किशन सिंह जाति बावरी निवासी चक 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर 2. दर्शन सिंह पुत्र जीत सिंह जाति बावरी निवासी चक 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर 3. प्रवीण कौर पत्नि जरनैल सिंह पुत्री जीत सिंह जाति बावरी निवासी चक 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद 18-एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ। 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 19.01.2021

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

2. श्री सुभाष गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

--निर्णय-- **दिनांकः** 22/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 16-17 एच घणजातियां की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 62/62 के मुरब्बा नम्बर 15, 59, 110 की कुल 3.079 हैक्टर नहरी बारानी भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जीत सिंह पुत्र किशन सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पिता जीत सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज उक्त तमाम 3.079 हैक्टर नहरी बारानी भूमि पैतृक भूमि है, जो प्रतिवादी संख्या 01 जीत सिंह के पिता को अपने पूर्वज वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा किशन सिंह पुत्र बग्गा सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई है। वादी के दादा किशन सिंह का आज से करीब 30 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। किशन सिंह के देहान्त के पश्चात उनके नाम दर्ज भूमि का विरास्तन जरिए नामान्तरण संख्या 291 दिनांक 21.06.1992 को उनके वैध वारिसान अर्थात वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी के चाचा भूरा सिंह को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। इस प्रकार से जीत सिंह को किशन सिंह से 5 बीघा 19 बिस्वा नहरी भूमि तथा 12 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई [illegible] पिता व चाचा को प्राप्त उपर्युक्त भूमि पैतृक भूमि है तथा वादी के [illegible] भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण 2 व 3 भी जीत सिंह के साथ बहिस्सा बराबर के हकदार [illegible] के पिता जीत सिंह व चाचा भूरा सिंह ने किशन सिंह से विरास्तन प्राप्त भूमि में से वादी के दादा किशन सिंह की इच्छा[illegible]चक 16-17 एच घनजातिया के मुरब्बा नम्बर 110 के [illegible] नम्बर 20 सालम एवं किला [illegible] 21 की 18 बिस्वा को वाटर वर्क्स के लिये व्ययनित कर दी। इस प्रकार किशन सिंह से प्राप्त विरास्तन भूमि 22 बीघा 3 बिस्वा बारानी व 11 बीघा 8 बिस्वा नहरी भूमि शेष रही। किशन सिंह से जीत सिंह को प्राप्त 5 बीघा 19 बिस्वा नहरी में वादी 1/4 हिस्सा का एवं 11 बीघा डेढ बिस्वा बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
22/03/21 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

शेर सिंह बनाम जीत सिंह आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91, 188 आरटीए, प्रकरण संख्या 07/2021

भूमि में 1/4 हिस्सा का हकदार है, जिसकी वादी घोषणा करवा पाने, इस के किसी भी प्रकार के अन्तरण-व्ययन-रहन आदि पर स्थगन प्राप्त कर पाने एंव अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। दिनांक 16.10.2000 को इसी मुरब्बा के किला नम्बर 9 ता 12, किला नम्बर 18 व 19 प्रत्येक सालम-सालम तथा किला नम्बर 22 व 23 प्रत्येक 18-18 बिस्वा कुल 7 बीघा 16 बिस्वा का बेचान कर दिया। अर्थात जीत सिंह ने 3 बीघा 18 बिस्वा का तथा भूरा सिंह ने भी 3 बीघा 18 बिस्वा का बेचान किया। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/4 हिस्सा की बारानी भूमि 3 बीघा के स्थान पर 4 बीघा 17 बिस्वा का बेचान कर दिया है। अब शेष बची हुई नहरी बारानी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा शेष नहीं रह गया है। उनके नाम दर्ज समस्त भूमि अब केवल वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के हिस्सा की ही भूमि बची हुई है। उक्त बेचान के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी के चाचा भूरा सिंह ने किशन सिंह से विरास्तन प्राप्त उपर्युक्त पैतृक भूमि के बाबत राजस्व अभियान में किला वाईज बंटवारा कर लिया उक्त बंटवारा कर लिया उक्त बंटवारा में वादी के पिता जीत सिंह को मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 की 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 10 व 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर कुल 1.745 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 5/1 की 0.126 हैक्टर बारानी, मुरब्बा नम्बर 110 के किला नम्बर 14/2 की 0.057 हैक्टर, किला नम्बर 15 ता 17 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24 की 0.227 हैक्टर व किला नम्बर 25 की 0.165 हैक्टर बारानी कुल 1.334 हैक्टर बारानी, इस प्रकार कुल 3.079 हैक्टर नहरी बारानी भूमि प्राप्त हुई, जो मौजूदा जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज चली आ रही है। वादी ने आज से अर्सा करीब 5 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन किया कि किशन सिंह से प्राप्त उक्त पैतृक जायदाद में वादी के हिस्सा की भूमि उसके नाम दर्ज करवा देवे। जिससे की वादी उसका अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग उपभोग कर सके। इस पर वादी के पिता ने इससे साफ इन्कार कर दिया तथा भूमि अपने नाम दर्ज होने के आधार पर इसका अन्यत्र बेचान कर देने की धमकी दी कि वे शीघ्र ही उक्त भूमि का औने पौने दाम पर विक्रय कर जमीन खुर्द-बुर्द कर देंगे। यही वाद कारण है। राजस्थान राज्य में समस्त कृषि भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। और तहसीलदार को लैण्ड होल्डर माना गया है इसलिए तहसीलदार राजस्व को बतौर लैण्ड होल्डर वाद पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री सादिर फरमाया जावेः- कि चक 16-17 एच घनजातिया के खाता संख्या 62/62 की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 की 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 10 व 11 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर कुल 1.745 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 5/1 की 0.126 हैक्टर बारानी, मुरब्बा नम्बर 110 के किला नम्बर 14/2 की 0.057 हैक्टर, किला नम्बर 15 ता 17 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24 की 0.227 हैक्टर व किला नम्बर 25 की 0.165 हैक्टर बारानी कुल 1.334 हैक्टर बारानी, इस प्रकार कुल 3.079 हैक्टर नहरी बारानी भूमि में वादी को 4 बीघा 10 बिस्वा नहरी बारानी (1 बीघा 10 बिस्वा नहरी तथा [illegible]-1/2 बिस्वा बारानी) भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। तथा [illegible] किसी भी प्रकार से व्ययनित करने से सदैव के लिए [illegible] व मनाही रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible]या। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष गोयल उपस्थित आए। वादी शेर सिंह व प्रतिवादीगण जीत सिंह, दर्शन कौर, प्रवीण कौर के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सीपीसी (समझौतानामा) पेश कर निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

22/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

शेर सिंह बनाम जीत सिंह आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91, 188 आरटीए, प्रकरण संख्या 07/2021

कि वादाधीन भूमि चक 16-17 एच घनजातियां के खाता संख्या 62 की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के मुरब्बा नम्बर 15, 59, 110 की 3.079 हैक्टर नहरी बारानी भूमि जो प्रतिवादी पक्षकार एंव वादी के पिता जीत सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। जीत सिंह को अपने पिता से विरास्त से प्राप्त हुई है। जिसे पक्षकार आपसी एंव पूरे परिवार की सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। इस सहमति में बटवारा में शेर सिंह वादी को उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 19 व 22 सालम (नहरी), मुरब्बा नम्बर 110 के किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24 के 0.227 हैक्टर (बारानी) समस्त कुल 0.986 हैक्टर नहरी/बारानी रकबा बंटवारे में देकर मौका पर कब्जा सम्भला दिया है। इसी अनुसार वादपत्र डिक्री करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इसी समझौता अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा समझौतानामा सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया गया। साक्ष्यवादी में गवाह शेर सिंह उपस्थित आया शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। शेर सिंह के बयान लिए गये। जिरह प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा नहीं की गई। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

हमने उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस विस्तारपूर्वक सुनी। तथा उस पर मनन किया। हस्तगत वादपत्र में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य हुए राजीनामा को अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत पेश किया। वादी एंव प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा राजीनामें तथा आदेशिका पर इस बाबत हस्ताक्षर किये। वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पहचान तस्दीक उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई। जिसे तस्दीक करने के बाद सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी पेश की गई। साक्ष्यवादी के दौरान वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र PW1 स्वयं की ओर से पेश किया। जिरह प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई। साक्ष्यवादी के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 62, प्रदर्श- 2 जमाबन्दी सम्वत 2046 ता 49 खाता संख्या 11, प्रदर्श-3 जमाबन्दी सम्वत 2046 ता 49 खाता संख्या 10/108, प्रदर्श- 4 नामान्तरण संख्या 874 दिनांक 27.05.2015, प्रदर्श-5 नामान्तरण संख्या 291 दिनांक 21.06. 1992, प्रदर्श-6 बैयनामा 16.10.2000 प्रस्तुत किये। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने बाबत अधिवक्ता प्रतिवादी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। साक्ष्य शपथ पत्र PW1 प्रदर्श-1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है। जिसमें वादी शेर सिंह पुत्र जीत सिंह का जन्म से ही अपने हक- हिस्से अनुसार अधिकार निहित है, और प्रतिवादी संख्या 1 जीत सिंह राजीनामा अनुसार अपने नाम दर्ज पैतृक भूमि में से वादी शेर सिंह को उसका हक हिस्सा देने को तैयार है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक [illegible] पत्र [illegible] अंतर्गत धारा 88, 91, 188 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजीनामा [illegible] स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या1 जीत सिंह पुत्र किशन [illegible] एच घनजातिया की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 62 के मुरब्बा नम्बर [illegible] 59, 110 की 3.079 हैक्टर नहरी बारानी भूमि में से वादी शेर सिंह पुत्र जीत सिंह जाति बावरी निवासी 16-17 एच घनजातिया तहसील श्रीकरणपुर को मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 19 व 22 सालम (नहरी), मुरब्बा नम्बर 110 के किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24 के 0.227 हैक्टर (बारानी) समस्त

22/03/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

कुल 0.986 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहें। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

22/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 22/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

22/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

शेर सिंह बनाम जीत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88, 91, 188 आरटीए** मुकदमा नं. **07/2021**

निर्णय दिनांक :- 22.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री अशोक जोशी व प्रतिवादी अधिवक्ता सुभाष गोयल** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 188 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जीत सिंह पुत्र किशन सिंह के नाम दर्ज चक 16-17 एच घनजातियां की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 62 के मुरब्बा नम्बर 15, 59, 110 की 3.079 हैक्टर नहरी बारानी भूमि में से वादी शेर सिंह पुत्र जीत सिंह जाति बावरी निवासी 16-17 एच घनजातिया तहसील श्रीकरणपुर को मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 19 व 22 सालम (नहरी), मुरब्बा नम्बर 110 के किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24 के 0.227 हैक्टर (बारानी) समस्त कुल 0.986 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। **शेष खाता बदस्तुर रहें।**

आज दिनांक 24/03/21 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

24/03/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

24/03/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

क्रमांकः राजस्व/ 2021/143
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांकः 24/3/21

24/03/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested